संख्या– —— /XV-3/2018-08(02)/2014

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–03 (मत्स्य) देहरादूनः दिनांक 07 अगस्त ~~जुलाई,~~ 2018

विषय– वित्तीय वर्ष 2018–19 में "पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य तालाब निमार्ण" योजना अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1787/मत्स्य ता०नि०यो०/2018–19, दिनांक 06 जुलाई, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में राजस्व मद में **अनुदान संख्या 28 के अन्तर्गत संचालित 03 पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य तालाब निमार्ण योजना, 20–सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता मद** में संलग्न परिशिष्ठ–'क' की तालिका–2 के स्तम्भ–2 में उल्लिखित जनपदों हेतु स्तम्भ–8 के विवरणानुसार कुल **₹ 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र)** की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं सुसंगत शासनादेशों में प्रदत्त दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(2) आदेश द्वारा स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु जारी Allotment ID की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(3) योजनान्तर्गत लाभार्थियों को धनराशि का अन्तरण **DBT** के माध्यम से किया जायेगा तथा लाभार्थियों के चयन व योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(5) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत व्यय की सूचना (कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक) प्रतिमाह 5 तारीख तक बी०एम०–08 प्रपत्र पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(7) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(8) किसी भी दशा में एक मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरादायित्व होगा, जो बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

क्रमशः.....2

(9) जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्टरूप लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र, व्यय विवरण एवं लाभार्थियों की सूची **फोटोग्राफ** सहित शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) किसी भी क्रय/विक्रय हेतु अधिप्राप्ति (प्रोक्यौरमेन्ट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रहों के अनुसार, आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी०जी०एस०एन०डी० की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–**2405–मछली पालन, 101 अन्तर्देशीय मछली पालन, 03–पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य तालाब निमार्ण योजना, 20–सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता मद** के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–519/3(150)-2017 /XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या–790 (1)/XV-3/2018-08(02)/2014 (बजट), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार साईबर ट्रैजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर को छोड़कर)।
5. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
6. राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, बजट राजकोषीय एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी०एस० पुण्डीर)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या– 790(1)/XV-3/2018-08(02)/2014, दिनांक 08 अगस्त ~~जुलाई~~, 2018 का संलग्नक

1– पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य तालाब निर्माण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यः–

तालिका–1

क्र० सं०	जनपद	वार्षिक भौतिक लक्ष्य				
		तालाब निर्माण एवं निवेश (01 यूनिट = 0.005 है०)	वर्ष 2017–18 के निर्मित तालाब एवं निवेश का अवशेष भुगतान (01 यूनिट=0.005 है०)	वर्ष 2017–18 में निर्मित तालाबों का अवशेष भुगतान (01 यूनिट =0.005 है०)	सेमिनार/गोष्ठी	प्रचार–प्रसार एवं साहित्य वितरण
–1–	–2–	–3–	–4–	–5–	–6–	–7–
1.	अल्मोड़ा	16 यूनिट (0.075 है०)	03 यूनिट (0.015 हैक्टेयर)	10 यूनिट (0.02 हैक्टेयर)	1	योजना अन्तर्गत मत्स्य पालन सम्बन्धी साहित्य, बैनर, फ्लैक्स बैनर एवं अन्य की व्यवस्था
2.	चम्पावत	16 यूनिट (0.08 है०)	––	––	1	
3.	बागेश्वर	16 यूनिट (0.075 है०)	02 यूनिट (0.01 हैक्टेयर)	11 यूनिट (0.055 हैक्टेयर)	1	
4.	पिथौरागढ़	16 यूनिट (0.08 है०)	––	––	1	
5.	नैनीताल	16 यूनिट (0.075 है०)	––	––	1	
6.	चमोली	16 यूनिट (0.08 है०)	––	––	1	
7.	पौड़ी	16 यूनिट (0.08 है०)	––	––	1	
8.	रूद्रप्रयाग	16 यूनिट (0.075 है०)	––	––	1	
9.	उत्तरकाशी	16 यूनिट (0.08 है०)	––	––	1	
10.	टिहरी	16 यूनिट (0.08 है०)	––	––	1	
11.	देहरादून	16 यूनिट (0.08 है०)	––	––	1	
योग		**176 यूनिट (0.88 हैक्टेयर)**	05 यूनिट (0.025 हैक्टेयर)	21 यूनिट (0.105 हैक्टेयर)	**11**	

क्रमश–..........2

2— पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य तालाब निर्माण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018—19 में प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्यः—

तालिका—2

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	वार्षिक वित्तीय लक्ष्य					
		तालाब निर्माण एवं निवेश (01 यूनिट = 0.005 है0)	वर्ष 2017—18 के निर्मित तालाब एवं निवेश का अवशेष भुगतान (01 यूनिट =0.005 है0)	वर्ष 2017—18 में निर्मित तालाबों का अवशेष भुगतान (01 यूनिट =0.005 है0)	सेमिनार/गोष्ठी	प्रचार—प्रसार एवं साहित्य वितरण	योग
—1—	—2—	—3—	—4—	—5—	—6—	—7—	—8—
1.	अल्मोड़ा	4.00	0.75	0.50	0.10	0.236	**5.586**
2.	चम्पावत	4.00	0.00	0.00	0.10	0.236	**4.336**
3.	बागेश्वर	4.00	0.50	0.55	0.10	0.236	**5.386**
4.	पिथौरागढ़	4.00	0.00	0.00	0.10	0.237	**4.337**
5.	नैनीताल	4.00	0.00	0.00	0.10	0.236	**4.336**
6.	चमोली	4.00	0.00	0.00	0.10	0.236	**4.336**
7.	पौड़ी	4.00	0.00	0.00	0.10	0.237	**4.337**
8.	रूद्रप्रयाग	4.00	0.00	0.00	0.10	0.236	**4.336**
9.	उत्तरकाशी	4.00	0.00	0.00	0.10	0.237	**4.337**
10.	टिहरी	4.00	0.00	0.00	0.10	0.236	**4.336**
11.	देहरादून	4.00	0.00	0.00	0.10	0.237	**4.337**
योग		**44.00**	**1.25**	**1.05**	**1.10**	**2.60**	**50.00**

(वी0एस0 पुण्डीर)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Fisheries (S014)

आवंटन पत्र संख्या - 790/XV-3/2018-08(02)/2014, date 08.08.2018

अलोटमेंट आई डी - S1808280066

अनुदान संख्या - 028

आवंटन पत्र दिनांक -08-Aug-2018

HOD Name - Director Fisheries (4362)

1: लेखा शीर्षक 2405 - मछली पालन 00 -

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन

03 - पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य तालाब निर्माण योजना

00 - ा

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	5000000	5000000
	0	**5000000**	**5000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 5000000

08.8.2018
(वी0एस0 पुन्डीर)
उप सचिव
पशुपालन,डेरी,मत्स्य एवं भाषा विभाग
उत्तराखण्ड शासन।